न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 41/2017
सी.सी.एम.एस संख्या:- 2017/00142

(225 आर.टी.एक्ट)

बनाम

रामस्वरूप पुत्र धीरया जाति मीना निवासी बड़ौला तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांट।

बनाम

1. मुनेश पुत्र धीरया
2. कमलेश पुत्र धीरया
   जातियान मीना निवासीयान बड़ौला, तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास।

....रेस्पोडेन्टस।

उपस्थित:-

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री रामस्वरूप टटवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02.

--::निर्णय::--

दिनांक: 18.01.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड बामनवास जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/15 बउनवान रामस्वरूप बनाम मुनेश वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 सगे भाई है। [illegible] 01 व 02 की पैतृक संपत्ति हैं। वादी व प्रतिवादी के पिता की [illegible] 31.05.17 को हो चुकी है। दौराने दावा उक्त भूमि का [illegible] के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना तो स्वयं करें [illegible] यह अनुतोष वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष टी.आई. प्रार्थना पत्र पेश [illegible] चाहा गया। मातहत अदालत

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

उपखण्ड अधिकारी बामनवास ने वादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.17 को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम बजीला तहसील बामनवास में धीरया पुत्र मंगल्या की खातेदारी में दर्ज है। तथा अपीलांट धीरया का पुत्र पहली पत्नी से उत्पन्न एक मात्र सन्तान है। तथा रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02 धीरया के ही पुत्र(दूसरी पत्नी से उत्पन्न) व दो पुत्रियां मुकेशी व ममतावती है। अपीलांट के पिता द्वारा दिनांक 12.02.80 को अपनी खातेदारी की भूमि में से 1/3 भाग की भूमि अपीलांट को सम्भला दी तथा 6 बीघा भूमि अपने पास रख ली। वादी के पिता धीरया का देहावसान दिनांक 04.02.16 को हो चुका है। विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण अपीलांट, रेस्पो0 सं0 01 व 02 तथा दोनों पुत्रियों के नाम खुल चुका है। एसटी सदस्यों पर पुत्रीयों का उत्तराधिकार नही होने से पुत्रियों का कोई कानूनी हक हासिल नही है। इस तथ्य पर मातहत अदालत ने गौर फरमाये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट अपने पिता धीरया की आराजीयात में उसके 1/3 हिस्से पर प्रारम्भ से लेकर आज दिनांक तक काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होता आ रहा है। इसी के साथ धीरया की पुत्रीयों से साज कर रेस्पोडेन्ट उक्त आराजीयात को अपीलांट के हिस्से को हडपना चाहते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 31.05.2017 को अपास्त फरमाया जावे। अपील मीमों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज [illegible]

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर [illegible] जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि[illegible] जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र [illegible] कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ [illegible] पर अविश्वास करने का

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी विवाद बिन्दु के बारे में नरम रुख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को उसके पिता ने जीवित रहते हुए ही संपूर्ण विवादित आराजीयात का 1/3 भाग सम्भला दिया था। जिस पर अपीलांट उस समय से काबिज काश्त है। लेकिन नामान्तकरण अपीलांट तथा अपीलांट के पिता की दूसरी पत्नी के पुत्र व पुत्रियों के नाम से खुल गया। अनुसूचित जनजाति में हिन्दू एक्ट लागू नहीं होने से पुत्रियों का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। चूंकि अपीलांट ही उसके पिता का जायज वारिस है। अतः पिता की संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत के निर्णय दिनांक 31.05.2017 को अपास्त करमार्यी जावें।

9. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने कथन किया कि रेस्पोंडेंट सं0 01 व 02 अपीलांट के पिता घोस्या की ही संतानें हैं लेकिन रेस्पो0 सं0 01 व 02 घोस्या की दूसरी जायज पत्नी से उत्पन्न संतानें है। रेस्पो0 सं0 01 व 02 व उनकी बहनों का अपने पिता की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है। अपीलांट स्वयं को अपने पिता का एक मात्र जायज वारिसान बतलाता है परन्तु यह सत्य नहीं है। अपीलांट का एक मात्र उद्देश्य रेस्पोंडेंट सं0 01 व 02 को नाजायज परेशान करना है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास का निर्णय दिनांक 31.05.2017 सही पारित किया गया। अपील अपीलांट खारिज करमाई जावें।

10. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

11. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत 2071–2074 बाबत ग्राम बडौला पटवार हल्का बडौला के अनुसार घोस्या पुत्र मंगल्या जाति मीना सा0 देह खातेदार रहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर कुल किता 12 कुल रकबा 8.30 है0 का रिकॉर्डेड खातेदार तथा कुल किता 3 कुल रकबा 1.81 में घोस्या पुत्र मंगल्या 1/3 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत 2068–2071 बाबत ग्राम बडौला अनुसार घोस्या पुत्र मंगल्या कुल रकबा 3.[illegible] है0 [illegible] है। अपीलांट व रेस्पोंडेन्टगण घोस्या के जायज वारिसान है। [illegible] संपत्ति से संबंधित है। जब विवाद पैतृक संपत्ति से संबंधित [illegible] न्यायहित में मूल वाद के निस्तारण [illegible] यथास्थिति बनाए रखा जाना उचित है।

Sd/-
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

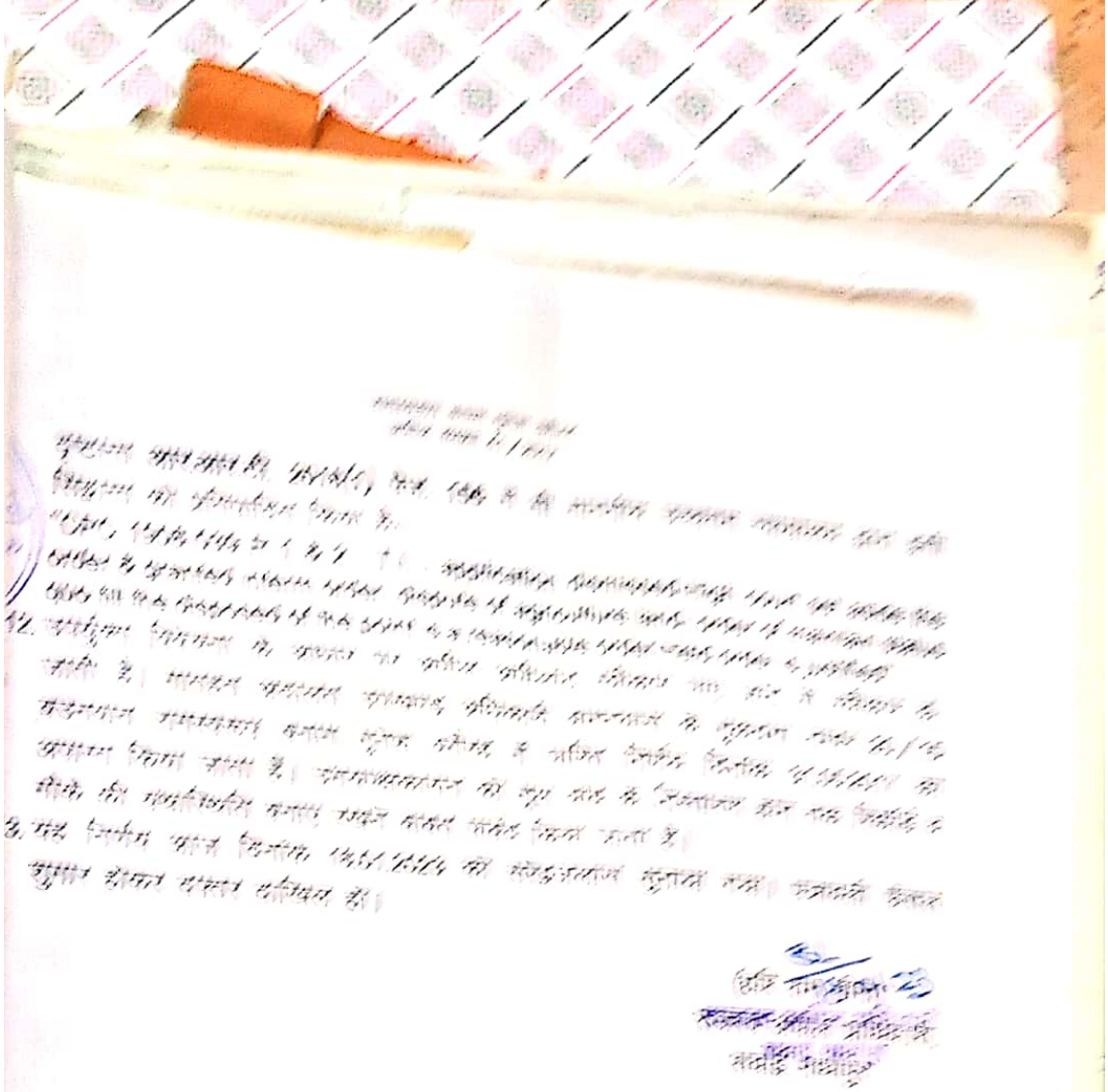

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner